



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 30, 2012/वैशाख 10, 1934

No. 8]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 30, 2012/VAISHAKA 10, 1934

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2012

सं. ए-12026/2/2012-प्रशा. I(वि.का.)— राष्ट्रपति, भारत के विधि आयोग के सदस्य-सचिव डॉ० ब्रह्म अवतार अग्रवाल, भारतीय विधि सेवा को दो वर्ष की अवधि के लिए सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय के पद पर नियुक्त करते हैं। डॉ० अग्रवाल की यह नियुक्ति उनकी अधिवर्षिता की तारीख के उपरान्त संविदा आधार पर रहेगी, जो सेवानिवृत्ति के समय सचिव (विधि कार्य विभाग) के तौर पर उनके लिए लागू निबंधनों और शर्तों के अनुसार होगी।

एम. के. शर्मा, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2012

No. A-12026/2/2012-Admn. I (LA).— The President is pleased to appoint Dr. Brahm Avtar Agrawal, ILS, Member Secretary, Law Commission of India, as Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, for a period of two years. The appointment of Shri Agrawal beyond his date of superannuation would be on contract basis on the terms and conditions he is entitled to as Secretary (Legal Affairs) at the time of retirement.

M. K. SHARMA, Addl. Secy.